BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I N D E X

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of the Respondent No.3 i.e. Principal Chief Conservator of Forests/HoFF, Uttarakhand, Dehradun)

IN

O.A. No. 614 OF 2022

Rasesh B. Vissanji …….Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. …..Respondents

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	
2.	Response Affidavit	
3.	**ANNEXURE-1** True/photocopy of the report dated 28.08.2024	
4.	**ANNEXURE-2** True/photocopy of the letter dated 23.02.2024	

Dated: 9/09/2024

Deepak Bora
Panel Counsel
Government of Uttarakhand

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of the Respondent No.3 i.e. Principal Chief Conservator of Forests/HoFF, Uttarakhand, Dehradun)

IN

O.A. No. 614 OF 2022

Rasesh B. Vissanji …….Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. …………..Respondents

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

Affidavit of Dr. Dhananjai Mohan, aged about 59 years, S/o Sh. S. S. Rajput, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

1. That the deponent is posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun and has been arrayed as Respondent No.3 in the above captioned matter as such he is competent to swear the present affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal, after the course of the hearing, vide its order dated 12.08.2024 had passed certain direction to the deponent. The operative part of order dated 12.08.2024 is being quoted as under:

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

"1. Mr. Deepak Kumar, Divisional Forest Officer, Almora is present through V.C and stated that 129 trees have been cut illegally without any permission from Forest Department but neither it has placed anything on record by way of response nor there is anything to show as to what action has been taken by Forest Department against violators for illegal cutting of trees. Respondent 3 is directed to file response giving all the above information and shall also remain present on the next date."

3. That as soon the deponent came to know about the proceedings and directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its Order dated 12.08.2024, the deponent sought a detailed report in the matter from the Divisional Forest officer (DFO), Almora Forest Division, Almora. And subsequently, the DFO, Almora Forest Division vide his letter 28.08.2024 had submitted his report to the deponent. Copy of the said report is being annexed and marked herewith as **ANNEXURE-1.**

4. That as per the report furnished by the DFO, Almora Forest Division in the present matter, a joint on-site inspection was conducted on 09.11.2022 by the committee formed in compliance with the order dated 23.09.2022, passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That in the said joint inspection report, it was found by the committee that 'during the construction work, some of the affected pine trees in the private land were felled by the contractor with the consent of the concerned villagers/landowners and some trees felled on their own due to erosion of the nearby soil in the last rainy season. All the said trees have been kept in the custody of the respective land owners. Further, the investigation committee found that the contractor had started the road cutting work by JCB prior to the felling of trees by the Forest Development Corporation, Uttarakhand, but the trees felled by the

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

contractor in this process were not taken anywhere else from the area. At present, the lot has been transferred to the Forest Corporation.

6. That as far as the illegal felling of 129 trees is concerned, it is submitted that forest offence (H-2) has already been registered under the forest Act and penalty of Rs. 1,05,000/- has been imposed and realised from the concerned violators. The cut trees were present at the spot and have been collected by the Forest Development Corporation as part of the allotted lot.

7. That the Forest Development Corporation, Uttarakhand has informed through a letter that the required amount of Rs. 22,78,091.00/- has been deposited by the user agency Public Works Department (PWD), for the purpose of felling of trees.

8. That the user agency, construction wing, Public Works Department, Almora, vide its letter 2588/3 si.va.bhu. dated 27.08.2024 has also informed thatall the advance payment to be paid to the contractor has been stopped on account of violation of Forest Conservation Act, 1980 on the said motor road.

9. That on the basis of the complaint received, an on-site inspection of the motor road construction work has been conducted by the Revenue Department in which alignment changes were found in about 1.5 km length during the motor road construction work. In continuation of the above, a letter has been sent to the Additional Principal Chief Conservator of Forests, Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun for necessary guidance regarding further action.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

10. That the Government of India, vide its order dated 23.02.2024 had authorized the Divisional Forest Officer, Almora, to take action under

Section 3(A) and 3(B) of the Forest Conservation Act, 1980 against the concerned Executive Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer in respect to the change in alignment without prior permission from the Government of India. Thereafter, a case has been registered before the Hon'ble District Court, Almora. And presently, the said case is pending in the Hon'ble District Court, Almora. Copy of the letter dated 23.02.2024 is being annexed as **ANNEXURE - 2**.

11. That thereafter the Government of India had directed to submit a revised proposal regarding the change in motorway alignment, in order to which the proposed department has uploaded the revised new proposal on the online portal.

12. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm on oath and verify that the contents of Paragraph No .... of the Affidavit are personal knowledge and those of Paragraph No. .... of the Affidavit are based on perusal of records and those of Paragraph No........... .... of the Affidavit are based on legal advice, which I believe to be true and no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-2?
GOVT. OF UTTARAKHAND

So Help Me God

Deponent

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Dehradun do hereby identify the deponent from the papers which he produced before me and I am satisfied that he is the same person making this affidavit.

Avnish Gupta

Identifier

Solemnly affirmed before me on this ..9th.... day of September, 2024 at about..8:00..a.m./p.m. by the deponent, who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that the deponent has understood the contents of this affidavit, which has been read over and explained to him by me.

(Oath/Notary)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

S. No. 5078/24

This affidavit is sworn before me by Shri...Dhanaipi Mohan
who is identified by Shri...Avnish Gupta
at Dehradun on ....9/9/24....

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962 230065, फैक्स: 05962 232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 962 /29-3(3) अल्मोड़ा दिनांक 28-8-2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 614/2022 रसेश बी0 बिशनजी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत करानन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में मूल आवेदन संख्या 614/2022 रसेश बी0 बिशनजी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य मामले में दिनांक दिनांक 12.08.2024 को हुई सुनवाई के क्रम में पारित आदेश के बिन्दु सं0 1–

......what action has taken by forest department against violators for illegal cutting of trees. Respondent 3 is directed to file response giving all the above information and shell also remain present on the next date के क्रम में *respondent 3* से आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपके द्वारा प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को दूरभाष के माध्यम से अधिकृत किया गया था। प्रभाग स्तर से मामले में वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की अध्यावधिक स्थिति आख्या तैयार कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को प्रेषित कर दी गयी है।

अतः प्रभाग स्तर से प्रकरण पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को प्रेषित की गयी आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक................./.................उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगंर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी0 ,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962 230065, फैक्स: 05962 232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 952 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 27/08/2024

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 614/2022 रसेश बी0 बिशनजी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **प्रकरण पर दिनांक 12.08.2024 को हुयी सुनवाई के क्रम में पारित आदेश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजित मूल आवेदन सं0 614/2022 रसेश बी0 बिशनजी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के बिन्दु सं0 1–

......*what action has taken by forest department against violators for illegal cutting of trees. Respondent 3 is directed to file response giving all the above information......*के क्रम में अवगत कराना है–

1–कि शिकायतकर्ता श्री रसेश बी0 बिशनजी द्वारा दिनांक 17.05.2022 को मोटर मार्ग निर्माण कार्य में अवैध वृक्षों का कटान, मलवा निस्तारण व बिना स्वीकृति कार्य किये जाने के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में शिकायत की गयी थी, जिसके क्रम में मा0 एन0जी0टी0 में उनके मूल आवेदन सं0 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 09.11.2022 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।**(संलग्नक–1)**

2– कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उनके द्वारा पाया गया कि "निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा नाप भूमि में प्रभावित कुछ चीड़ के वृक्षों को सम्बन्धित ग्रामीणों/भूस्वामियों की सहमति से गिराया गया है व अन्य वृक्ष विगत वर्षाकाल में भू–कटाव के कारण स्वतः ही गिर गये। उक्त समस्त वृक्षों को सम्बन्धित भूस्वामियों की सुपुर्दगी में रखा गया है। जांच समिति द्वारा पाया गया कि ठेकेदार द्वारा वन विकास निगम उत्तराखण्ड द्वारा वृक्षों के पातन से पूर्व ही जे0सी0पी0 द्वारा रोड़ कटान का कार्य प्रारम्भ किया गया, किन्तु ठेकेदार द्वारा गिराये गये वृक्षों को क्षेत्र से कहीं अन्यत्र नहीं ले जाया गया। वर्तमान में वन विकास निगम को लॉट हस्तान्तरित की जा चुकी है**(संलग्नक–2)**।

3–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वांछित धनराशि रू0 2278091.00 जमा किये जाने के उपरान्त वन निगम द्वारा कुछ वृक्षों का पातन कर लिया गया।**(संलग्नक–3)** मौके पर ठेकेदार द्वारा वन निगम के पातन किये जाने से पूर्व जे0सी0पी0 द्वारा वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के दिशानिर्देशों के क्रम में दिनांक 24.12.2023 को एच0–2 केस पंजीकृत कर दिया गया, जिसमें वृक्षों के पातन किये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार से प्रतिपूर्ति वसूल कर ली गयी। **(संलग्नक–4)**

प्रकरण पर प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 2588/3 सी0व0भू0 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन पाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार का अग्रिम पूर्ण भुगतान रोक दिया गया है।**(संलग्नक–5)**

4– कि प्राप्त शिकायत के आधार पर मोटर मार्ग निर्माण कार्य का राजस्व विभाग द्वारा स्थलीय जांच की गयी जिसमें मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान लगभग 1.5 किमी0 लम्बाई में संरेखण परिवर्तन पाया गया।**(संलग्नक–6)** उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को आवश्यक मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में भारत सरकार की

पूर्वानुमति के बगैर संरेखण परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3(ए) व 3(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के उपरान्त मा0 जिला न्यायालय अल्मोड़ा में केस पंजीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में कार्यवाही मा0 जिला न्यायालय अल्मोड़ा में गतिमान है।**(संलग्नक–7)**

5–मोटर मार्ग संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित नवीन प्रस्ताव ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सल0-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2022 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्लीद्वारा चितई–मन्योली निवासी श्री राशेश बी विसनजी एवं अन्य के शिकायती पत्र दि0 24.05.2022 का संज्ञान लेते हुए चितई–मन्योली–पेटशाल मोटर मार्ग की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में दि0 23.09.2022 को आदेश पारित किये गये हैं। जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है–

3. Prime facie, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constitude to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprisinf of representatives of State PCB, Executive Engineer, PWD, Almora, DFO and District Magistrate, Almora and direct the same to meet within two weeks. Undertake visits to the site. Look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to:-

(i) The Concerned Project Proponents to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same and file their response before this Tribunal as desired with in one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judical-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF, and

(ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Almora to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degraation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferable in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न–1)

उक्त आदेशों के क्रम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पत्र यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सामान्य–183–626/2022/1166 दि0 15.10.2022 के द्वारा आदेशित विभागों के निम्न नामित सदस्यों के द्वारा दि0 09.11.2022 स्थलीय संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के प्रतिनिधि श्री मोहन राम आर्या, वनक्षेत्राधिकारी, वनक्षेत्र अल्मोड़ा।
2– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के प्रतिनिधि श्रीमती खुशबू पाण्डे, तहसीलदार सोमेश्वर, प्रभार अल्मोड़ा।
3– डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
4– इं0 आशुतोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान सूचित करने के उपरान्त शिकायतकर्ता श्री राशेश बी विसनजी उपस्थित नहीं रहे। (पत्र संलग्न–2)

क्रमशः पेज नं0 2..............

Scanned with OKEN Scanner

संदर्भित शिकायती स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है—

1:— आवेदक का यह कथन कि चितई से पेटशाल मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है।

समिति उक्त कथन से सहमत है।

यह मार्ग अल्मोड़ा—घाट राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 बी है,परन्तु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चितई के समीप कालीधार नामक स्थान पर मार्ग का ग्रेड, चौड़ाई, कर्व अत्यधिक खराब होने के कारण मार्ग पर कई दुर्घटनायें हुई हैं, जिसमें कई लोगो की जान—माल की हानि हो चुकी है। जिस कारण इस वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

2:— आवेदक का यह कथन कि चितई मन्योली से पुनः 6 किमी0 का एक प्रस्तावित मार्ग बनवाया जा रहा है,जिसका कोई औचित्य नही है, जिसके बनने से सैकड़ो चीड़ व अन्य प्रजाति के पेड़ भी कटेंगें।

समिति उक्त कथन से असहमत हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय ग्राम चितई पंत, चितई तिवारी मन्योली, पूनाकोट, पेटशालबाड़ी, पातालदेव आदि ग्रामवासियो एवं जनप्रतिनिधियो के अनुरोध पर लो0नि0वि0 द्वारा आगणन उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था।

अल्मोड़ा—घाट राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 बी के चितई से पेटशाल विशेषकर कालीधार नामक स्थान पर मार्ग का ग्रेड चौड़ाई कर्व आदि अत्यधिक खराब होने के कारण विगत 15 वर्षो में ही मार्ग दुर्घटना के कारण लगभग 50 से अधिक मौते हो चुकी है। (समाचार पत्रों की छायाप्रति संलग्न—3)

शासनादेश संख्या 572/III—(2)/06—08 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्ग का निमार्ण कार्य लम्बाई 8.00 किमी0 व धनराशि रू0 200.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (छायाप्रति सलंग्न—4)।

वर्तमान समय पर श्रम एवं सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण इस मार्ग का निर्माण 3.25 किमी0 में ही किया जा रहा है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पत्रांक—1404/13सी0 दि0 30.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि "चितई से पेटशाल के मध्य मार्ग का ढाल न्यूनतम 1:10 फाल एवं 1:20 फाल है। मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.25मी0 एवं अधिकतम चौड़ाई 8.40 मी0 के मध्य है। मार्ग के इस प्रभाग में कुछ मोड़ अतिसंवेदनशील होने के कारण समय—समय पर मार्ग में दुर्घटनाऐं होती रहती हैं। मोड़ो पर मार्ग का ढलान न्यूनतम 1:9 एवं अधिकतम 1:16 है। यदि चितईपन्त तिराहे से पेटशाल तक नये मार्ग का निर्माण किया जाता है तो इस मार्ग के निर्माण के पश्चात इस प्रभाग में एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होने के साथ—साथ सुरक्षित यातायात की सम्भावना होगी" (छायाप्रति सलंग्न—5)।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0 8 बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1765 दिनांक 17.11.2020 द्वारा अल्मोड़ा मे चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इंटर कालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गई है (छायाप्रति सलंग्न—6)।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 7624/204सी0—01/2021 दिनांक 22.10.2021 द्वारा उक्त मोटर मार्ग का संमरेखण अनुमादित किया गया है (छायाप्रति सलंग्न—7)।

मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासियों द्वारा अपनी नाप भूमि देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। (छायाप्रति सलंग्न—8)।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5076/12—1(2) अल्मोड़ा दिनांक 15.3.2021 के डिमाडं नोट के कम में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 3247715.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष मे दिनांक 16.03.2021 को जमा की गई है (छायाप्रति सलंग्न—9)।

कमशः पेज न0 3..........

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 414/9–1(2) अल्मोड़ा दिनांक 20.7.2022 द्वारा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा को उक्त कार्य से सम्बन्धित वृक्षों की छपान सूची व लॉट हस्तान्तरण की कार्यवाही की गयी (छायाप्रति सलंग्न–10)।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा के पत्रांक 582/विकास कार्य प्रांक्कलन दिनांक 05.08.2021 के डिमान्ड नोट के कम में वृक्षो के पातन/ढुलान हेतु रू0 2278091.00 की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में दिनांक 05.11.2022 को जमा की गई है (छायाप्रति सलंग्न–11)।

वर्तमान में वन विकास निगम द्वारा वृक्षो के पातन/ढुलान का कार्य किया जा रहा है तथा जिसे वन निगम द्वारा सुरक्षित रूप से प्राप्त कर लट्ठे बनाकर ढुलान किया जा रहा है (फोटोग्राफ सलंग्न–12)।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 8163/204 सी–01/2021 –22 दिनांक 6.12.2021 द्वारा 3.250 किमी0 लम्बाई एवं लागत रू0 200.16 लाख मात्र की प्रविधिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं (छायाप्रति सलंग्न–13)।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 8265/निविदा–01/2021 दिनांक 27.11.2021 द्वारा उक्त कार्य की निविदा आमत्रित की गई है (छायाप्रति सलंग्न–14)।

अनुबन्ध संख्या 01/एस0 ई0 –01/22 दिनांक 07.05.2022 द्वारा उक्त कार्य का अनुबन्ध श्री शिवराज सिंह बनौला, अल्मोड़ा के नाम गठित किया गया है (छायाप्रति सलंग्न–15)।

सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तो का पालन करते हुए विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–3414/3सी0 व0भू0 दि0 07.11.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को आनलाइन प्रेषित किया गया है (छायाप्रति सलंग्न–16)।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–धाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्गएक महत्वपूर्ण मार्ग है। जिस हेतु ग्रामवासियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा अतिशीघ्र मार्ग निर्माण हेतु निरन्तर निवेदन किया जा रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम चितई पंत, चितई तिवारी मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल बाड़ी, पातालदेव आदि ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा एवं पलायन भी रूकेगा। स्थानीय काश्तकारों द्वारा अपनी उपज को मुख्य मोटर मार्ग/बाजार तक ले जाने के लिए उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम खर्च में ढुलान की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा एवं उनकी आर्थिकी में वृद्धि होगी (छायाप्रति सलंग्न–17)।

3– आवेदक का यह कथन कि इधर कुछ दिनों से श्री जगदीश चौहान नामक व्यक्ति द्वारा ग्राम मन्योली से जे0सी0बी0 चलाकर रोड कटान का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा आदेश मांगने पर उसकी स्वीकृति नहीं दिखा रहा है तथा गुण्डागर्दी कर रहा है।

समिति उक्त कथन से असहमत है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि ठेकेदार के प्रतिनिधि श्री जगदीश चौहान द्वारा ग्राम मन्योली में जे0सी0बी0 चलाकर अनुबन्ध के अनुसार ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया। मोटर मार्ग की स्वीकृति उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्राप्त है।

4– आवेदक का यह कथन कि जे0सी0बी0 से पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है एवं मलुवे को अवैध रूप से उपजाऊ भूमि की ओर फैंक दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के खेत खराब हो गये हैं।

समिति उक्त कथन से पूर्णतः सहमत नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयक मोटर मार्ग लगभग 2.50 किमी0 लम्बाई में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राम चितईपन्त, चितई तिवारी व मन्योली की नापभूमि में स्थानीय ग्रामीणों/भूस्वामियों के अनुरोध पर निर्माण सामग्री के आवागमन तथा मार्ग में प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों के निर्माण हेतु अति आवश्यक ट्रेसकट का कार्य किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान ठेकेदार द्वारा नापभूमि में प्रभावित कुछ चीड़ के वृक्षों को सम्बन्धित ग्रामीणों/भूस्वामियों की सहमति से गिराया गया व अन्य वृक्ष विगत वर्षाकाल में भूकटाव के कारण स्वतः ही गिर गये। उक्त समस्त वृक्षों को सम्बन्धित भू–स्वामियों की सुपुर्दगी में रखा गया है।

कमशः पेज नं0 4.............

Scanned with OKEN Scanner

जांच समिति द्वारा पाया गया कि ठेकेदार द्वारा बिना वन विकास निगम, उत्तराखण्ड द्वारा वृक्षों के पातन के पूर्व ही जे0सी0बी0 द्वारा रोड कटान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया किन्तु ठेकेदार द्वारा गिराये गये वृक्षों को क्षेत्र से कहीं अन्यत्र नहीं ले जाया गया और न ही उनको बेचने/तश्करी का प्रयास किया गया। वर्तमान में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लॉट हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में किये गये छपान के अनुसार जो छपान सूची उपलब्ध करायी गयी थी, वर्तमान में भी उसी के अनुसार मौके पर वृक्ष मौजूद पाये गये हैं तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा लॉट में कार्य गतिमान है। अतः ठेकेदार द्वारा सम्भवतः जनता के भारी दबाव में जल्दबाजी करते हुए वन विकास निगम द्वारा पातन के पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने की पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध में पृथक से वन विभाग द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रिम निर्देशों हेतु सूचना प्रेषित की जा रही है।

स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है तथा पर्यावरण को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँचाई गयी है। मलुवे का निस्तारण ग्रामीणों की सहमति से नाप भूमि में डम्पिग जोन में गैबियन्स एवं रिटेनिंग वाल लगाकर किया जा रहा है (फोटोग्राफ सलंग्न–18)।

राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम चितई पन्त, चितई तिवारी में काटी गयी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये समरेखन के अनुरूप काटी गयी है, किन्तु ग्राम मन्योली में काटी गयी सड़क समरेखन के अनुरूप नहीं काटी गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समरेखन में परिवर्तन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की संस्तुति के आधार पर किया गया है (सलंग्नक 7 के अनुसार)। लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया उक्त समरेखन परिवर्तन मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 16 के अनुसार "केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।" का उल्लंघन प्रतीत होता है, किन्तु जॉच समिति द्वारा यह भी पाया गया कि उक्त समरेखन परिवर्तन गैर वन क्षेत्र में है तथा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध पातन व अवैध कटान नहीं पाया गया है। अतः इस समरेखन परिवर्तन की सूचना वन विभाग द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रिम निर्देशों हेतु सूचना प्रेषित की जा रही है।

प्रकरण के मुख्य बिन्दु, मौका स्थिति, कृत कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु आदि की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय/सुझाव–

1–मार्ग निर्माण कार्य में वर्षा जल की निकासी हेतु मार्ग पर आवश्यक कल्वर्ट का निर्माण किया जाय।
2–मार्ग निर्माण कार्य में जल की निकासी हेतु मार्ग पर आवश्यक नाली का निर्माण किया जाय।
3–मार्ग निर्माण कार्य में भू–कटाव को रोकने हेतु आवश्यक स्थानों पर दीवार निर्माण कार्य किया जाय।
4–मार्ग निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण निर्धारित डम्पिंग जोन में ही किया जाय।
5–क्षतिपूरक वृक्षारोपण निर्धारित/चयनित स्थान पर करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ डी0के0 जोशी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी	(इं. आशुतोष कुमार) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	(श्री महातिम यादव) प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	(श्री गोपाल चौहान) उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा प्रतिनिधि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scan

326

(-1[illegible]-10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

दूरभाष कार्यालय 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेलalmoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 414 / 9-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 20-7-2022

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास, प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, [illegible]

विषय:- लौट सं0 45 /2022 का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लौट सं0 45 /2022-23 से सम्बन्धित वृक्षों की छपान सूची निम्न प्रकार आवंटित की जा रही है। कृपया उपरोक्त लौट को अपने अधिकार में लेकर शीघ्र कार्य कराना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	लौट सं0 एवं वर्ष	रा0जि का नाम	स्थान/क्षेत्र का नाम
	45 -2022-23	अल्मोड़ा/[illegible]	अन्तर्गत पंत पतियाई से [illegible] [illegible] लिंक [illegible]

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 414 / 9-1(2) तद्दिनांकित

प्रतिलिपि - निम्न को लौट की छपान सूची की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible]।
3- वन क्षेत्राधिकारी, [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम,अल्मोड़ा।

जिला पंचायत परिसर धारानौला,अल्मोड़ा।Ph No. .(05962) 234117 E-Mail: vanvikasalmora@rediffmail.com

पत्रांक : 393 / लौगिंग सामान्य/ दिनांक- 11 -7-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- लौट संख्या 45/22-23 चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इन्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयंगत क्रम में अवगत कराना है, कि लौट संख्या 45/22-23 चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इन्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्ग में कुल छपे वृक्षों की संख्या 513 हैं, जिसमें 162 वृक्षों का पातन वन विकास निगम, अल्मोड़ा द्वारा कर लिया गया है। कार्यालय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा की पत्र सं0 416/1सी दिनांक 17-05-2023 द्वारा अवगत कराया गया हैं कि उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन हैं जिस हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 द्वारा लौगिंग प्रभाग अल्मोड़ा से पातन किये गये वृक्षों की संख्या एंव आयतन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं।

दिनांक 07-07-2023 में अनुभाग अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया हैं, कि ग्रामीणों एवं लो0नि0वि0 के मध्य विवाद तथा प्रकरण के राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र के वन दरोगा द्वारा पातन कार्य रोकने हेतु मौखिक रूप से कहा गया है। जिस कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा द्वारा शेष वृक्षों का पातन नहीं किया गया है। चूकि उक्त प्रकरण में किसी भी विभाग द्वारा लिखित रूप से इस कार्यालय को पातन कार्य अवरूद्ध करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य जारी करने हेतु दवाव बनाया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में स्थिति को स्पष्ट करते हुए पातन कार्य हेतु उचित मार्ग दर्शन करने की कृपा कीजियेगा।

भवदीया,

(ऊषा पुरी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक ,अल्मोड़ा।

पत्रांक - /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-वन क्षेत्राधिकारी,अल्मोड़ा वन क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

(ऊषा पुरी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,अल्मोड़ा।

Bill Type : Normal

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

लेखाशीर्षक संबंधी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़कें
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्यौरेवार शीर्षक -	(04)लो०नि०वि० का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

[illegible] : अल्मोड़ा

[illegible] : अल्मोड़ा

[illegible] .... क्रम संख्या

[illegible] : 1 0 3

[illegible] : 3 7 0 0

[illegible] : 2 9 0

[illegible] (...द्वारा भरा जाना है) : 0

वाउचर दिनांक :

[illegible] : पतदेय

[illegible] : 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 1 0 4 5 4

[illegible] : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा

[illegible] : 4 2 3 4

[illegible] : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा

[illegible] निर्माण कार्य 14- सेक्टर कोड :0 15- सेक्टर कोड

[illegible] आवश्यक हो, प्रतिलिपि Project : PR3700423403211006 c/o chitaipant tiraha to Pelsha hill road

Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54 भूमि क्रय	2278091	2278091	0

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	22,78,091
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	22,70,091

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	
99 चुद्ध देय धनराशि 66-77	22,78,091

Annexure-11

[illegible]	धनराशि रू0	[illegible]
नाम सम्बन्धी विवरण	22,78,091	
[illegible] 2022/DFO MUK VAN VIKAS NIGAM	22,78,091	
[illegible] अग्रिम समायोजन के बाद	..	
[illegible] कटौतियां	22,78,091	

[illegible] धनराशि 66-77

[illegible] किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। समस्त नियमों एवं आदेशों [illegible] पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

[illegible] / [illegible] — आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर

([illegible] कंटीजेंसी के प्रकरण [illegible] होगा)

([illegible] कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

[illegible] रु0 22,78,091 (Rupees Twenty Two Lacs Seventy Eight Thousand Ninety One Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

[illegible] द्वारा रु0 -

[illegible] रू0 22,78,091

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	05AAALU0009M0ZG DFO MUK VAN VIKAS NIGAM	Saving	NTBL0ALM002	0021000000020495	2278091	0	0	2278091
					2278091	0	0	2278091

Aheay

(संलग्नक - 2(ए))

[illegible]

[illegible], [illegible], उत्तराखण्ड

1245

अल्मोड़ा [illegible]

[illegible] रमेश सिंह [illegible]

[illegible] अल्मोड़ा [illegible] 105000/-

रु एक लाख पाँच हजार मात्र [illegible]

[illegible] संख्या [illegible] /२०२३-२०२४

[illegible] की जमानती वसूल की गई

[illegible]

[illegible] 12.2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 2588 /3थी०का०भूमि दिनांक 27/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदः पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध ग लम्बाई 5.650 किमी0।

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0–614/2022 Rasesh vissanji & other verses state of Uttarakhand दि0 12.08.2024 को पारित आदे: के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ के कम में पारित आदेशों के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है
1– उक्त मोटर मार्ग के संसोधित/पुनरीक्षित समरेखन में 502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से व निगम द्वारा 162 वृक्षों का पातन एवं ढुलान कर लिया गया है (संलग्नक–1)। ठेकेदार द्वारा अप पत्रांक–शून्य दि0 13.07.2023 में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ठेकेदार के जे0सी0र्व आपरेटर द्वारा अनजाने में परिवर्तित समरेखन में कटान के दौरान सिविल भूमि के कोने काट दिये हो (संलग्नक–2)। जिस हेतु वन विभाग द्वारा 1.05 लाख का चालान कर ठेकेदार से वसूला गया (संलग्नक–3)। लोक निर्माण विभाग द्वारा वृक्षों के पातन/ढुलान हेतु रू0 2278091.00 की धनरा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में दि0 05.11.2022 को जमा की गयी है (संलग्नक–4)। विभ: द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के उल्लंघन के सम्बन्ध में ठेकेद को कई पत्र प्रेषित किये गये है (संलग्न–5)। एवं ठेकेदार का भुगतान भी रोक दिया गया है। वर्तमान प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली एवं मा0 जिला न्यायालय, अल्मोड़ा में विचाराधीन है। म एन0जी0टी0, नई दिल्ली एवं मा0 जिला न्यायालय अल्मोड़ा द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अनुस नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

27-08-2024

(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– कोर्ट सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

सलग्नक

निरीक्षण आख्यां– (चितई मुन्योली पेटशाल लिंक मोटर मार्ग)

उपरोक्त प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदुषण नियत्रण बोर्ड के पत्राक संख्या UKPCB/ROH/रिट/22/1992–761 दिनांक 3.11.2022 के कम में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 Rasesh B Vissanji &Ors बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन में चितई मुन्योली पेटशाल राष्ट्रीय राजमार्ग में पेड की अवैध कटाई के संम्बन्ध दिनांक 9.11.2022 को अपराह्न 01 बजे स्थलीय निरीक्षण प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में राजस्व विभाग से सम्बन्धित जांच आख्यां निम्नवत है–

उक्त चितई मुन्योली पेटशाल लिंक मोटर मार्ग में ग्राम चितई पंत, चितई तिवाडी तथा मुन्योली की भूमि सम्मिलित है उक्त लिंक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 6 किमी है तथा वर्तमान में कुल 2.500 किमी सड़क काटी जा चुकी है, जॉच में पाया गया कि ग्राम चितई पंत, चितई तिवाडी में काटी गयी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये संरेखण के अनुरुप काटी गयी है, किन्तु ग्राम मुन्योली में काटी गयी सड़क संरेखण के अनुरूप नहीं काटी गयी है लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया की उक्त संरेखण में परिवर्तन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा की संस्तुति के आधार पर किया गया है उक्त संस्तुति पत्र की जॉच/सत्यापित प्रति लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित है। उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 149/विविध पत्रा0–वै0सहा0/2021–22 दिनांक 20.12.2022 को आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया था, जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता निमार्ण खण्ड द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 4023/1 सी0 दिनांक 21.12.2022 को विभाग द्वारा अनुमोदित समरेखन के संबंध में आख्या मय प्रपत्रो सहित उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है संरेखण में दिखायी गयी सड़क तथा मौके पर काटी गयी सड़क में लगभग 1.5 किमी का अन्तर पाया गया मौके पर काटी गयी सड़क अन्तर्गत गैर ज0वि0 खाता खतौनी सं0 25 श्रेणी 9(3)ड़ जो की ब0का0आ0 में दर्ज है की कुल 0.408 है0 भूमि तथा श्रेणी 4 (संक्रमणीय पट्टेदारों की भूमि) की कुल 0.120 है0 भूमि सम्मिलित है, उपरोक्त काटी गयी सड़क में श्रेणी 1 की कुल 0.345 है0 भूमि सम्मिलित है। इस प्रकार ग्राम मुन्योली में संरेखण के विपरीत काटी गयी सड़क में कुल नाप भूमि (श्रेणी 4 तथा श्रेणी 1क) की 0.465 है0 भूमि तथा कुल 0.408 है0 राज्य सरकार (ब0का0आ0) की भूमि सम्मिलित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया की सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार की सैद्वातिंक स्वीकृति प्राप्त है (स्वीकृति की प्रति संलग्न है) नाप भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाने हेतु खातेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है वर्तमान में काटी गयी सड़क निर्माण में वन विभाग के अनुसार कुल 188 चीड़ के वृक्ष काटे गये है, जिसकी सैद्वांतिक संस्तुति वन विभाग द्वारा दी गयी है के संबंध में वन विभाग से जॉच अपेक्षित है। उपरोक्त जॉच में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरेखण **Alignment** को आधार बनाया है। खातेदारो का खसरा मूल में संलग्न है।

संलग्नः–यथोक्त।

(नेहा वर्मा)
रा0उ0नि0 चितई

(खुशबु पाण्डे)
तहसीलदार सोमेश्वर/प्रभार अल्मोड़ा

(गोपाल सिह चौहान)
उप जिलाधिकारी
सदर अल्मोड़ा।

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला न्यायालय, अल्मोड़ा।

1.	रेंज केस संख्या–	52/अल्मोड़ा रेंज/2023.24
2.	अभियुक्तगण का नाम व पता–	1. अशुतोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 लोहाघाट। 2. जी0बी0 जोशी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट। 3. प्रदीप पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
3	केस का विवरण–	जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत तिराहे से हरिदत्त पेटशाली लिंक मोटर मार्ग का निर्माण(प्रस्ताव सं0 9220/2015) सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा करवाया जा रहा था। प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का उल्लधंन किया गया एवं बिना पुर्वानुमति के संरेखण परिवर्तन किया गया। उक्त मोटर मार्ग में स्वीकृत संरेखण से 1.5 किमी0 संरेखण परिवर्तन कर सड़क निर्माण करने पर लो0नि0वि0 के उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियन 1980 की धारा 3(a) व 3(b) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त केस दर्ज किया गया।
4.	साक्ष्य–	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा अपने पत्रांक 610/कोर्ट केस दिनांक 15.02.2024 से द्वारा दी गई सूचना।

लिखित दस्तावेजों का प्रमाण– यह अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980(यथासंशोधित 2023) के उल्लघंन की श्रेणी में है क्योंकि यह सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों का उल्लधंन है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 (यथासंशोधित 2023) की धारा 3(a) व 3(b) के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रार्थना– अपराधी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जाये और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 (यथासंशोधित 2023) की धारा 3(a) व 3(b) के तहत अपराध किये जाने पर अभियुक्त को दण्डित करने की कृपा करें।
इस केस की पैरवी ......श्री पंकज लरवाल अधिवक्ता...... द्वारा की जायेगी।

संलग्न दस्तावेज

1. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3(a) व 3(b) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाने वाला पत्र
2. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा अपराधियों के नाम के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई सूचना।
3. अपराध प्रसूचना:– एच0 2 केस।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र।
5. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।
6. केस डायरी ।

o/c

हस्ताक्षर

परिवाद दाखिलकर्ता का नाम व पदनाम–
(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

दिनांक – 25/05/2024

सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त की गई

E:\2- data transfer\land transfer letter 2021.docx

(241)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 : 8 बी/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ.सी./1496 दिनांकः 23/02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।

विषयः जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **2.43875** है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/9220/2015)

संदर्भः(i) कार्यालय- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 3922/12-1 (1) अल्मोड़ा दिनांक 21-02-2024

(ii) इस कार्यालय का पत्रांक 8 बी/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ.सी./1386 दिनांक 31.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुमोदित संरेखण के इतर मार्ग का निर्माण किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संदर्भ में आपके (प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा) द्वारा निरीक्षण उपरान्त यह पुष्टि की गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों, नाम-इं0 आशुतोष कुमार, पदनाम- अधिशासी अभियन्ता, इं0 जी0 बी0 जोशी, पदनाम- सहायक अभियन्ता व इं0 प्रदीप पुरी, पदनाम- कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.11.2020 की शर्त संख्या 16 का अनुपालन न करते हुए भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना कुल 0.408 है0 वन भूमि में संरेखण परिवर्तन कर दिया गया है। इस संदर्भ में आपके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन से संबंधित दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है।

इस संदर्भ में यह भी लेख किया जाता है कि यह उल्लंघन प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में भी विचाराधीन है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (अधिसूचना दिनांक 29.11.2023) के बिन्दु क्रमांक 15 के प्रावधानो के तहत इस कार्यालय द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा संख्या 3A तथा 3B के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आपको (प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा) अधिकृत किया जाता है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा संख्या 3A तथा 3B के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को रिकोर्ड हेतु प्रेषित करें।

Signed by Neelima Shah
Date: 23-02-2024 16:07:33

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।